॥ श्रीहरिः ॥

379▲

गोवध भारतका कलङ्क एवं गायका माहात्म्य

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR [SINCE 1923]

लेखक—हनुमानप्रसाद पोद्दार

॥ श्रीहरिः ॥

गोवध भारतका कलङ्क एवं गायका माहात्म्य

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

हनुमानप्रसाद पोद्दार

॥ श्रीहरिः ॥

महात्मा गान्धी—

"भारतवर्षमें गोरक्षाका प्रश्न स्वराज्यसे किसी प्रकार भी कम नहीं। कई बातोंमें मैं इसे स्वराज्यसे भी बड़ा मानता हूँ। जबतक हम गायको बचानेका उपाय ढूँढ़ नहीं निकालते, तबतक स्वराज्य अर्थहीन कहा जायगा।"

"गोरक्षा हिंदूधर्मकी दी हुई दुनियाके लिये बक्शीश है। हिंदूधर्म भी तभीतक रहेगा, जबतक गायकी रक्षा करनेवाले हिंदू हैं।"

"गायकी रक्षा करना ईश्वरकी सारी मूक सृष्टिकी रक्षा करना है।"

"भारतकी सुख-समृद्धि गौ और उसकी संतानके साथ जुड़ी हुई है।"

सर्वदेवमयी गोमाता

॥ श्रीहरिः ॥

गोवध भारतका कलङ्क एवं गायका माहात्म्य

गोरक्षाके लिये क्या करें?

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च।
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥

गौका महत्त्व

गोरक्षण, गोपालन और गोसंवर्धनका प्रश्न भारतवर्षके लिये नया नहीं है। यह भारतवर्षका सनातन धर्म है। हमारी आर्य-संस्कृतिके अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके साधनका मूल हमारी 'सर्वदेवमयी' यह गोमाता है। हमारे अपौरुषेय वेदोंने गौकी बड़ी महिमा गायी और उसे 'अघ्न्या' बतलाया है। वैदिक वाङ्मयमें सवा सौसे अधिक बार 'अघ्न्या' पदका प्रयोग हुआ है। अथर्ववेदमें पूरा 'गोसूक्त' है। उपनिषदोंमें 'गोमहिमा' है। महाभारतके अध्याय-के-अध्याय गोमहिमाके सम्बन्धमें हैं। रामायण, इतिहास, पुराण और स्मृतियोंमें गोमाहात्म्य भरा है। गौके रोम-रोममें देवताओंका निवास माना गया है। उसे 'सुरभि', 'कामधेनु', 'अर्च्या (पूज्या)', 'विश्वकी आयु', 'रुद्रोंकी माता', 'वसुओंकी पुत्री' कहा

गया है और 'सर्वदेवपूज्या' माना गया है। गोपूजा, गोभक्ति, गोमन्त्र आदिसे महान् लाभ बतलाये गये हैं। वह यहाँ सर्वप्रकारसे अभ्युदय करती है और परलोकमें वैतरणीसे तारती है। 'वृषोत्सर्ग' का महान् माहात्म्य है। गोचरभूमि छोड़ना बड़ा भारी पुण्य माना गया है। गौका यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्त्व चाहे आज किसीकी समझमें न आये और आध्यात्मिक जगत्का यह रहस्य भौतिक साधनोंसे समझमें आ भी नहीं सकता। श्रद्धालु पुरुष शास्त्रप्रमाणसे तथा अन्तर्दर्शी महात्मा ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा अनुभवसे ही इसे जान सकते हैं।

गोसेवा भारतीय संस्कृति है और धार्मिक कर्तव्य है

गोसेवा और गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख सभी धर्मावलम्बियोंके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य है। अतएव गोरक्षाका आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण भी बड़े महत्त्वका है तथा कदापि उपेक्षणीय नहीं है। इसका सांस्कृतिक महत्त्व तो सर्वविदित ही है। भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे बड़े-बड़े महापुरुषोंद्वारा गोसेवन और गोपालन होता चला आता है। रघुवंशी महाराजा दिलीप नन्दिनी गौके लिये अपने प्राण देनेको प्रस्तुत हो गये थे। राजा नृगने असंख्य गायें दान की थीं। भगवान् श्रीरामका अवतार ही 'गो-ब्राह्मणहितार्थ' हुआ था। उन्होंने दस सहस्र करोड़ (एक खरब) गौएँ विद्वानोंको विधिपूर्वक दान की थीं।

'गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्।'

(वा० रा० १।१।९४)

भगवान् श्रीकृष्णका समस्त बाल्यजीवन गो-सेवामें बीता। उन्होंने स्वयं वनोंमें घूम-घूमकर गो-वत्सोंको चराया। इसीसे उनका नाम 'गोपाल' पड़ा। कामधेनुने अपने दूधसे तथा देवराज इन्द्रने ऐरावतकी सूँड़के द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक

करके उनको 'गोविन्द' नामसे सम्बोधित किया था। द्वारकामें वे पहले-पहल ब्यायी हुई, दुधार, बछड़ोंवाली, सीधी, शान्त, वस्त्रालंकारोंसे समलङ्कृत तेरह हजार चौरासी गायोंका प्रतिदिन दान करते थे। (देखिये श्रीमद्भागवत १०। ७०। ९)

प्राचीन कालकी गो-सम्पत्ति

युधिष्ठिरके यहाँ गायोंके दस हजार वर्ग थे, जिनमें प्रत्येकमें आठ-आठ लाख गायें थीं। लाख-लाख, दो-दो लाख गायोंके तो और भी बहुत-से वर्ग थे।

तस्याष्टशतसाहस्रा गवां वर्गाः शतं शतम्।
अपरे शतसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथापरे॥

(महा० विराट० ९। ९-१०)

इस गो-विभागकी सारी व्यवस्थाका भार सहदेवपर था। वे गोविज्ञानके महान् पण्डित थे। नन्द-उपनन्दादिके पास असंख्य गौएँ थीं और वे उनका भलीभाँति रक्षण-पालन और संवर्धन करते थे। अभी पिछले बौद्धकालमें भारतमें कितनी बड़ी संख्यामें गोपालन होता था; इसके लिये यहाँ एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा। धनंजय सेठने अपनी कन्याके विवाहमें कुछ गायें देनेकी इच्छासे अपने सेवकोंसे कहा—'जाओ, छोटा गोकुल खोल दो और एक-एक कोसके अन्तरपर नगारा लिये खड़े रहो। १४० हाथकी चौड़ी जगह बीचमें छोड़कर दोनों ओर आदमी खड़े कर दो, जिसमें गायें फैल न सकें। जब सब लोग ठीक खड़े हो जायँ, तब नगारा बजा देना।' सेवकोंने ऐसा ही किया। जब गायें एक कोस पहुँचीं, तब नगारा बजा, फिर दो कोस पहुँचनेपर बजा, अन्तमें तीन कोस पहुँचनेपर फिर बजा, तीन कोसकी लम्बाई और १४० हाथकी चौड़ाईके मैदानमें इतनी गायें भर गयीं कि वे एक-दूसरेके शरीरको रगड़ती हुई चलीं। तब धनंजयने कहा—'बस, अब दरवाजा बंद कर दो।' सेवकोंने दरवाजा बंद किया; परंतु बंद करते-करते भी ६०,०००

गायें, ६०,००० बैल और ६०,००० बछड़े तो निकल ही गये। अब अनुमान कीजिये, इस छोटे गोकुलमें कितनी गायें रही होंगी। यों गोपालकोंका यह पशुधन गोकुलोंमें लाखों-करोड़ोंकी संख्यामें था। गोतम नामक बड़े गायोंके व्यापारी होते थे, जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गौओंके दल-के-दल होते थे। यह थी हमारी गोसम्पत्ति और यह था हमारा गोपालन। गायको अब भी गाँवोंके लोग 'धन' कहते हैं। बड़े ही दुःखकी बात है कि उसी गोपालकोंके देशका आज इतना पतन हो गया कि उनके अपने ही राज्यमें गायें निर्बाध काटी जाती हैं और गोरक्तसे भारतकी पवित्र भूमि लाल हो रही है!!

भयानक गोहत्या और गोरक्षाका आन्दोलन

अंग्रेजी शासनके पहले गोरक्षा-आन्दोलनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय सर्वत्र पर्याप्त गोचरभूमि थी। बहुत अधिक मात्रामें चारा उत्पन्न होता था। इसलिये पशुओंको जीवनभर पूरा चारा मिलता था। बड़े विशाल और बलवान् बैल थे। एक-एक हलमें क्रमसे ९ या १० जोड़े बैलतक जुतते थे। अच्छा चारा-दाना मिलने तथा सेवाकी सुव्यवस्था होनेके कारण पशु बीमार ही बहुत कम होते थे। अनुभवी चिकित्सक घरेलू दवाइयोंसे उनकी सफल चिकित्सा करते थे। चमड़े, मांस आदिके बाहर भेजे जानेका तो कोई प्रश्न ही नहीं था, कहीं कसाईखाने नहीं थे। लूले, लँगड़े, अपंग गौ-बैलोंके लिये शुद्ध सेवाकी दृष्टिसे स्थापित 'पिंजरापोल' तथा 'गोशालाएँ' थीं। खेतोंमें गाय-बैलोंके गोबरकी प्रचुर खाद डाली जाती थी, इनसे बहुत अधिक अन्न पैदा होता था। दूध, दही तथा घीकी तो मानो नदी बहती थी। दूध-दहीका मूल्य लेना पाप माना जाता था। मुसल्मानी जमानेमें तो एक रुपयेका १६ सेरतक घी बिका था, अंग्रेजोंके आनेके बादतक घी एक रुपयेका पाँच सेरतक बिकता था। मुसल्मानी शासनमें भी गायका कम महत्त्व नहीं समझा जाता था। बाबर, हुमायूँ और अकबरने गोवध रोक दिया था। कई मुसल्मान शासकोंने गायोंकी नस्लको उन्नत बनाया था।

अंग्रेजोंके आनेके बाद गोरोंके लिये गोमांसकी आवश्यकता हुई। व्यापारी नीतिसे चमड़ेका निर्यात आरम्भ किया। कानूनी तौरपर जगह-जगह कसाईखाने खुले और उत्तरोत्तर गोहत्या बढ़ती गयी। सन् १९१७ ई० में सर जान उडरफने प्रतिवर्ष एक करोड़ गोवधका अनुमान लगाया था। सन् १९२९ में छिंदवाड़ेके वकील श्रीव्रजमोहनलाल वर्माने विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और पत्र-व्यवहारके आधारपर यहाँके कसाईखानोंमें प्रतिवर्ष प्राय: सवा करोड़ गाय-बैलोंकी हत्या होना बतलाया था। दरभंगाके श्रीधर्मलालसिंहजीके मतानुसार वर्षभरमें कुल मिलाकर एक करोड़ बाईस लाख गौएँ काटी जाती थीं। सारांश यह कि विशेषज्ञोंकी उस समयकी सम्मतिके अनुसार प्रतिवर्ष लगभग एकसे सवा करोड़ अर्थात् प्रति मिनट लगभग १९ से २४ तक गोजातिके पशु काटे जाते थे। (दु:खकी बात यह है, यह गोवध अब भी ज्यों-का-त्यों जारी है।)

इसी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भयानक गोहत्याको देखकर भारतीय राष्ट्रपुरुषका अन्त:करण दहल जाता था। और समय-समयपर इसीलिये किसी-न-किसी प्रकारसे गोरक्षणका प्रयास भी होता था। आर्यसमाजके संस्थापक स्वामीजी श्रीदयानन्दजी सरस्वतीने गोरक्षाका बड़ा प्रयास किया। उन्होंने 'गोकरुणानिधि' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। फर्रुखाबादके सेठ मोहनलाल, हरद्वारके बाबा भगवानदास, काशीके भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, स्वामी आलाराम सागर संन्यासी, पं० नटवर लाल चतुर्वेदी, गोभक्त श्रीहासानन्दजी, श्रीकरसेठजी सोरावजी जस्सावाला, सर जान उडरफ, महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय और महात्मा गांधीजी-प्रभृति अनेकों महानुभावोंने अपने-अपने समयमें अपनी-अपनी योग्यता, पद्धति तथा सुविधाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे गोरक्षाके लिये प्रबल आन्दोलन तथा महान् कार्य किये। महाराष्ट्रके श्रीचौंडेजी महाराजने गोरक्षार्थ बड़ा प्रयत्न किया। गोविषयक ज्ञानसे भरे हुए 'गोज्ञानकोष' नामक ग्रन्थका निर्माण किया। अनेकों संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिनमें बम्बईकी जीवदयामण्डली, महात्मा गांधीजीद्वारा

स्थापित गो-सेवासंघ, हिसारकी गोरक्षिणी, सभा, विहारकी गोशाला-सोसाइटी और भारतीय गोसेवकसमाज आदि अनेकों संस्थाएँ आज भी बड़ा सुन्दर कार्य कर रही हैं।

हमारी अपनी सरकार स्थापित होनेके बाद सन् १९४७ में जीवदयामण्डली और हिसारकी गोरक्षिणी सभाकी ओरसे आन्दोलन हुआ, लाखों तार-पत्र सरकारके पास भेजे गये। महात्मा श्रीकरपात्रीजीके द्वारा संस्थापित 'धर्मसंघ' की ओरसे बड़ा सुन्दर और विशाल प्रयत्न हुआ। सत्याग्रह हुआ। हजारों साधु-ब्राह्मण जेल गये। स्वयं श्रीकरपात्रीजी महाराजको कारागारमें रहना पड़ा। लाखों हस्ताक्षरोंके तार-पत्र भेजे गये। अभी दो वर्ष पूर्व 'राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ' की ओरसे लगभग १॥। करोड़ हस्ताक्षर भेजे गये। स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजने गोरक्षार्थ सहस्रचण्डी आदि अनेकों अनुष्ठान करवाये। गतवर्ष वृन्दावनमें सेठ श्रीहजारीमलजी सोमानीके प्रयत्नसे बृहद् अनुष्ठान हुआ। प्रयागमें निम्बार्क-सम्प्रदायके श्रीराधाकृष्णजी आचार्यने अनुष्ठान कराया। ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराजने 'गोसेवाव्रत' धारण किया, धर्मवीर श्रीरामचन्द्रजीने कई लम्बे अनशन किये। स्वामीजी श्रीकरपात्रीजीने पुनः दूध-दही-मक्खन देनेका सत्याग्रह शुरू किया। आर्यसमाजके वीर और बुद्धिमान् महानुभाव कमर कसकर गोरक्षाके आन्दोलनमें प्रवृत्त हो रहे हैं, हिन्दूसभाने भी गोवधके विरुद्ध बुलंद आवाज उठा रखी है। भारत-गोसेवक-समाजकी ओरसे जगह-जगह गो-सम्मेलन हो रहे हैं, बर्धाका गो-सेवा-संघ तो वर्षोंसे गोरक्षाके प्रयत्नमें रचनात्मक कार्य कर रहा है, राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन गोहत्या कतई बंद करनेके लिये सिंहगर्जना कर रहे हैं, संत श्रीविनोबा भावे गोरक्षाके लिये समय-समयपर उपदेश दे रहे हैं, नामधारी सिखसम्प्रदाय (जिनके सतगुरु श्रीरामसिंहजी महाराज तथा उनके कूके नामधारी सिख गोवध बंद करानेके लिये ही बलिदान हुए थे) भी गोवधके विरुद्ध आवाज उठा रहा है। सतगुरु श्रीप्रतापसिंहजी सतत प्रयत्नमें लगे हैं। इसके अतिरिक्त और भी

बहुत-से प्रयत्न चालू हैं। अभी सेठ गोविन्ददासजीने गोरक्षाके लिये संसदमें एक विधेयक उपस्थित किया है। इन एक ही उद्देश्यको लेकर होनेवाले विविध प्रयत्नोंसे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनताका हृदय गोवधसे कितना दुःखी और क्षुब्ध है एवं सभी गोरक्षा चाहते हैं। अस्तु,

सरकारने क्या किया?

महात्मा गांधीजी तथा राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके प्रयत्नसे ता० १९। ११। ४७ को भारतसरकारके कृषिमन्त्रणालयके द्वारा 'गोरक्षण और गोपालन'पर भलीभाँति विचार करके सम्मति देनेके लिये सर दातारसिंहजीकी अध्यक्षतामें 'पशुरक्षण और संवर्धन कमेटी' (Cattle Preservation and development commitee) बनायी गयी।

भारतसरकारके द्वारा निर्मित इस कमेटीने गत ६। ११। ४९ को अपनी रिपोर्ट दी और गोरक्षण तथा गोसंवर्धनकी योजना उपस्थित करते हुए यह सिफारिश की कि 'चौदह वर्षतककी उम्रके पशुओंका वध तुरंत रोक दिया जाय और दो वर्षके अंदर-अंदर सम्पूर्ण गोवध बंद हो जाय।' इस सिफारिशके अनुसार कार्य होता तो अबतक गोवध सम्पूर्ण बंद हो जाना चाहिये था, परंतु सरकारने इसकी पूर्ण अवहेलना की। यद्यपि इस कमेटीकी योजनाके अनुसार भारत-सरकारने निम्नलिखित कुछ कार्य किये और इसके लिये वह धन्यवादकी पात्र है—

(क) पहले केन्द्रिय गोशाला—विकास बोर्ड, तदनन्तर मध्यस्थ गोसंवर्धन कौंसिलकी स्थापना की गयी, जिसमें विभिन्न राज्योंके गोशाला-पिंजरापोल-संघोंके प्रतिनिधि तथा पशु-विभागके अधिकारियोंकी नियुक्ति की गयी।

(ख) इस कौंसिलको गोसंवर्धनकी योजना, गोसदनोंकी योजना, पशुओंके संक्रामक रोगोंका इलाज आदि कार्य सौंपे गये।

(ग) गोसंवर्धन कौंसिलको उपर्युक्त योजनाके निमित्त सरकारने

आर्थिक सहायता देनेका निश्चय किया।

(घ) पञ्चवर्षीय योजनामें सवा तीन लाख अपंग और वृद्ध गोवंशको रखनेके लिये १६० गोसदन और नस्ल-सुधारके लिये ७५० केन्द्र खोलनेका निश्चय किया गया।

(ङ) गोशाला-पिंजरापोल-संघोंको व्यवस्थित करने और इन संस्थाओंके द्वारा गोसंवर्धन-योजनाको सफल बनानेपर विचार किया गया।

(च) सरकारी तौरपर गोपाष्टमीके दिनोंमें गोसंवर्धन-दिवस मनाया जाने लगा। (परंतु बड़े ही खेदकी बात है कि इस दिन भी जहाँ गोपाष्टमीके दिन गोसंवर्धन-दिवस मनाया गया, वहाँ केवल उस एक दिनके लिये भी कसाईखानेमें गोहत्या बंद नहीं की गयी!)

संविधानमें कतई गोवध-बंदीका विधान होनेपर भी अभी उपयोगी गायोंका वध जारी है।

उपर्युक्त कमेटीके सुझावोंको ध्यानमें रखते हुए संविधानमें ४८वीं धारा बनायी गयी थी जो इस प्रकार है—

"The State shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of Cows and Calves and other milch and draught Cattle."

मूल संविधानकी उपर्युक्त धाराके अनुसार 'गाय और बछडोंका वध सवर्था बंद होना चाहिये और दूसरे जो दूधके या खेतीके काममें आते हैं, उन पशुओंका भी वध नहीं होना चाहिये।'

इस यथार्थ अभिप्रायके अनुसार कुछ स्टेटोंमें गोवध कतई बंद करनेकी बात सोची जा रही थी कि इसी बीचमें भारतसरकारकी ओरसे प्रान्तीय सरकारोंको उक्त धाराका दूसरा अर्थ करते हुए वास्तवमें

मूल संविधानके विरुद्ध, ता० २० दिसम्बर सन् १९५० को एक गश्ती पत्र भेजा गया, लिखा गया कि "Hides from slaughtered cattle are much superior to hides from fallen cattle and fetch a higher price. In the absence of slaughter the best type of hide which fetches good price in the export market no longer be available. A total ban slaughter is thus detrimental to the Export trade and work against the interest of the Tanning industry in the country."

'मरे हुए पशुकी अपेक्षा मारे गये पशुओंकी खालें बहुत बढ़िया होती हैं और उनके दाम ज्यादा आते हैं। गोवध सर्वथा बंद होनेकी स्थितिमें निर्यात व्यापारके लिये बढ़िया खालें नहीं मिलेंगी। अतएव सर्वथा गोवध-निषेध चर्म-निर्यातके व्यापारके लिये हानिप्रद होगा तथा चर्म-व्यवसाय करनेवाले लोगोंके स्वार्थके भी विरुद्ध होगा।'

इसलिये राज्य-सरकारको अनुपयोगी और दूध न देनेवाले पशुओंके सर्वथा वध रोकनेका कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये!

सच्ची बात तो यह है कि उपर्युक्त धाराका यह अर्थ करना उसका अनर्थ करना है। भारत-गोसेवक-समाजके सभापति और भारतीय संसदके सदस्य प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सेठ गोविन्ददासजीने उपर्युक्त धाराके इस अंशका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है—

इस धाराका बहुत बार ऐसा अर्थ लगाया जाता है जो यथार्थमें इसका अर्थ नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धाराका जो अन्तिम विशेषण है, 'अदर मिल्च एन्ड ड्रॉट कैटल'। इन विशेषणोंको काऊज (गाय) और काब्ज (बछड़े) के साथ नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आप काब्ज (बछड़ा) शब्दको लीजिये,

'काब्ज' न तो मिल्च (दूध देनेवाले ही) होते और न ड्रॉट (खेतीके कामके ही होते है)। 'काब्ज' शब्दके पहले 'काऊज' शब्द आया है, यानी 'काऊज एण्ड काब्ज; एण्ड अदर मिल्च ड्रॉट कैटल'। अब आप देखिये कि 'अदर मिल्च एण्ड ड्रॉट कैटल' विशेषण काब्जके साथ नहीं लग सकते, तो फिर वह 'काऊज' (गायों) के साथ कैसे लग सकता है?

अगर इस संविधानका अभिप्राय केवल 'मिल्च और ड्रॉट कैटल' को ही बचानेका होता तो 'काऊज एण्ड काब्ज' इन शब्दोंको (अलग) रखनेकी आवश्यकता ही नहीं थी। 'मिल्च एण्ड ड्रॉट कैटल' में गायें भी आ जाती हैं, बैल भी आ जाते हैं, भैंस भी आ जाते हैं और भैंसे भी; लेकिन इसमें 'काऊज एण्ड काब्ज' पहले लिखे गये और उसके बाद 'अदर मिल्च एण्ड ड्रॉट कैटल' लिखा गया है। जो भाषाके विशेषज्ञ हैं, उनके सामने इस संविधानको रखा जाय और उनसे पूछा जाय कि इस संविधानकी धाराका अर्थ क्या होता है तो मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई विशेषज्ञ अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे तो स्पष्टरूपसे यही निर्णय देंगे कि गायों और बछड़ोंका वध तो तुरंत बंद होना चाहिये और उसके बाद दूसरे जानवर हैं, भैंस हैं और भैंसे हैं जो 'मिल्च एण्ड ड्रॉट कैटल' में आते हैं, उनका भी वध नहीं किया जाना चाहिये। 'जो हमारे दूधके या खेतीके काममें आते हैं या इस प्रकारके अन्य जानवरोंका वध भी नहीं होना चाहिये'—गायों और बछड़ोंमें यह विशेषण नहीं लगाये जा सकते। इस तरहका अर्थ लगाना, खींचातानी करना, हमारे संविधानके अर्थका अनर्थ करना है।

अतएव यह सिद्ध है कि भारतसरकारने जान-बूझकर गोवध जारी रखनेकी इच्छासे ही यह अनर्थपूर्ण गश्ती पत्र राज्यसरकारोंको भेजा है; परंतु दुःख तो यह है कि १४ वर्षसे कम उम्रकी उपयोगी गायोंका वध भी तो बंद नहीं हुआ। कितने ही प्रान्तोंमें १४ वर्षतककी

आयुके पशुओंकी हत्या कानूनन बंद तो कर दी गयी है तथापि अभीतक वहाँ उपयोगी पशुओंकी हत्या वस्तुत: बंद नहीं हो पायी है और जबतक कानूनसे पूर्णरूपसे गोवध बंद नहीं हो जाता, तबतक उपयोगी गायोंका वध रुक नहीं सकता। दुनियामें जहाँ लोग गोमांस खाते हैं, वहाँ भी ऐसे उपयोगी पशुओंका निर्दय और निर्बाध वध नहीं होता, परंतु हमारे पवित्र देशमें कलकत्ते, बंबई-जैसे बृहत् नगरोंमें, बड़े-बड़े विद्वान्, बुद्धिमान्, देशहितैषी, राजपुरुष, गोसेवक और गोभक्तोंकी छातीपर सर्वोत्तम नस्लकी नौजवान दुधारू उपयोगी गाय-बैलोंकी भयंकर हत्या होती रहती है। असंख्य बछड़े-बछड़ियोंका कत्ल होता है। मानो ये नगर गरीब मूक गायोंकी वध्यभूमि बने हुए हैं!

जबतक कानूनमें 'उपयोगी' की शर्त रहेगी, तबतक ऐसा होता ही रहेगा। यह अबतकके अनुभवसे सिद्ध है। कानूनका अमल कितनी ही कड़ाईसे करनेकी इच्छा हो, अमल करने-करानेवाले जैसे होंगे वैसा ही अमल होगा। यही कारण है कि १४ वर्षसे कम उम्रकी गायोंका वध कानूनकी दृष्टिसे निषिद्ध होनेपर भी वे निर्बाध कट रही हैं और वे इसीलिये कट रही हैं कि मांसाहारी लोग उनके मांसको अच्छा समझते हैं और उनका चमड़ा भी बढ़िया माना जाता है तथा मांस एवं चमड़ेका निर्यात उत्तरोत्तर बड़ी तेजीसे बढ़ रहा है और यह—

गोमांस तथा चमड़ेका निर्यात ही भयानक गोवधमें प्रधान कारण है

सरकारी रिपोर्टोंके आधारपर सन् १९५२, ५३ में—४६,०९,१७३ (छियालीस लाख नौ हजार एक सौ तिहत्तर) गायोंकी खालें बाहर भेजी गयी हैं, जिनका मूल्य ७,५६,०९,१७३ (सात करोड़ छप्पन लाख नौ हजार एक सौ तिहत्तर) रुपये होते हैं। बछड़ोंकी खालें इससे अलग हैं और उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही

है—सन् १९४५,४६ में जहाँ १,७२,००० बछड़ोंकी खालें बाहर गयी थीं, वहाँ सन् १९५२,५३ में—२०,०७,९५१ खालें बाहर भेजी गयी हैं, जिनका मूल्य १,२०,४६,९७० (एक करोड़ बीस लाख छियालीस हजार नौ सौ सत्तर) रुपये होते हैं, इनमेंसे केवल १० प्रतिशत खालें अन्य देशोंमें गयी हैं तथा १,०८,३८,०८४ रुपयेकी खालें एक इंगलैंडको भेजी गयी हैं, लाला हरदेवसहायजीके कथनानुसार इस समय—

अंग्रेजी राज्यकी अपेक्षा गोवधकी संख्या कहीं बढ़ी है?

लालाजी लिखते हैं—

गायकी ट्रेण्ड खालोंकी संख्या—४६,०९,१७३

बछड़ोंकी खालोंकी संख्या—२०,०७,९५१

गायकी कच्ची खाल—१०,०००

तैयार खालें—१,५०,०००

देशमें वध किये गये गोवंशकी खालोंका कम-से-कम खर्च—१५,००,००० अनुमान।

यों वध किये हुए गोवंशकी खालोंकी कुल संख्या—८२,७७,१२४।

चमड़ेके निर्यात, सामान तथा देशमें कत्ली खालोंके खर्चका जो अनुमान लगाया है, वह सरकारी रिपोर्टोंके आधारपर कम-से-कम है। उत्तर प्रदेश गोसंवर्धन कमेटीके प्रधान ग्रॉ० सर सीतारामजीने उस दिन अपने भाषणमें कहा है—

"India supplied hides worth £11,74000 to Britain alone which was about three times the quantity supplied to the previous year."

'भारतवर्षसे केवल अकेले ब्रिटेनको ११,७४,००० पौण्डकी खालें भेजी गयी थीं जो गतवर्षकी भेजी गयी संख्यासे तिगुनी है।'

गो-मांसका निर्यात भी बढ़ता जा रहा है—

भारतमें कुल २२ बंदरगाहें हैं, जहाँसे विदेशमें माल निर्यात होता है—इनमेंसे तीन बंदरगाहोंके आँकड़े प्राप्त हुए हैं। इन तीनोंसे १ जुलाई सन् १९५२ से ३० जून सन् १९५३ तक जितने रुपयेका गोमांस भेजा गया, उसके आँकड़े इस प्रकार हैं—

१—बम्बईसे ३१,६९,९६६) रुपयेका

२—कलकत्तासे २१,६९,३४७) रुपयेका

३—मद्राससे २,९९,१३९) रुपयेका

यों एक वर्षमें ५६,३८,४५२) रुपयेका गोमांस केवल उपर्युक्त तीन बंदरगाहोंसे भेजा गया है!

अंग्रेजी राज्यमें जिम्मेवार पुरुषोंने अनुमान एक करोड़ गोवधकी संख्या बतलायी थी। देशविभाजनके बाद वह संख्या उस अनुपातके अनुसार ६७ लाख करीब होनी चाहिये थी जो आज ८२ लाखसे कहीं अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजी राज्यमें जितना गोवध होता था उससे अब अधिक होता है। अंग्रेजी राज्यमें प्रायः गोवध केवल कसाईखानोंमें ही होता था, उसकी गणना भी की जा सकती थी; परंतु आजकल तो घरोंमें, जंगलोंमें और खेतोंमें बहुत अधिक गोवध हो रहा है, इसलिये उसकी अलग-अलग संख्याका पता नहीं लग सकता। अतः निर्यातके अङ्कोंसे ही अनुमान लगाया जा सकता है।

यह चमड़ेका और गोमांसका निर्यात तथा चमड़ेका व्यापार ही इतने भयानक गोवधका प्रधान कारण है। अतः जबतक चमड़ेका तथा गोमांसका निर्यात तथा गोवध कानूनसे सर्वथा बंद नहीं होगा, तबतक गोवंशकी सुरक्षा असम्भव है। अतएव भारतके सब राज्योंमें सर्वथा गोवधबंदीका तथा चमड़े एवं गोमांसके निर्यात बंद करनेका कानून शीघ्र-से-शीघ्र बन जाय, इसके लिये हर तरहके शान्तिमय उपायोंसे प्रबल आन्दोलन कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिये

जिससे सरकार तथा हमारे प्रमुख नेता इस बातको समझ जायँ कि 'गोरक्षा हुए बिना भारतीय जनताके हृदयका दुःख नहीं मिट सकता।' और वे सर्वथा गोवधबंदीका कानून बना दें।

यह याद रखना चाहिये कि जबतक एक बूँद भी गोरक्त भारतभूमिपर गिरता रहेगा, तबतक न भारतका कलङ्क मिटेगा और न वह सुखी होगा।

गो-सदन

इसीके साथ-साथ गोसदनोंकी स्थापना आवश्यक है। हमारे प्राचीन पिंजरापोल, गोशाला एक प्रकारके 'गो-सदन' ही हैं। उनमें सेवा तथा धर्मवृत्तिसे अपने बूढ़े माता-पिताके पालन करनेकी भाँति अशक्त, असमर्थ, रोगी गाय-बैलोंको भरण-पोषण किया जाता था। और यह परम आवश्यक भी था। वस्तुतः यह बड़े महत्त्वका नैतिक दायित्व है। हमारे माता-पिता, जिन्होंने हमें नाना प्रकारके दुःख-संकट झेलकर पाला-पोसा, अपने हृदयका सर्वस्व देकर हमारी उन्नति-कामना की तथा हमें मनुष्य बनाया, बुढ़ापेमें उन्हें अनुपयोगी बताकर छोड़ देना क्या हमारा नैतिक दुराचार नहीं है? इसी प्रकार जिस गोमाताने हमारा जीवनभर पालन-पोषण किया, सैकड़ों मन दूध दिया, जिसके पुत्र बैलने हमारे जीवन-रक्षाके लिये हजारों मन अन्न उपजाया, वृद्ध होनेपर उसे हम भूखों मरनेको छोड़ दें या कह दें कि उसे कत्ल कर दिया जाय? यह भीषण कृतघ्नता और महान् नैतिक पतन नहीं तो और क्या है? अतएव ऐसे गाय-बैलोंका पालन-पोषण करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। इसी उद्देश्यसे पिंजरापोलोंकी स्थापना हुई थी और इसीलिये आज भी गो-सदनोंकी स्थापनाका विचार किया गया है। यद्यपि इसमें दया तथा पूज्य भावनाका एवं श्रद्धाका अभाव है, तथापि जो सर्वथा अनुपयोगी पशु हैं; उनके लिये गो-सदनकी स्थापना अत्यावश्यक है।

सरकारी पञ्चवर्षीय योजनामें वृद्ध तथा अपंग गाय-बैलोंको

रखनेके लिये १६० गोसदन बनानेकी योजना है। इसमें लगभग तीन लाख पशु रखे जायँगे; यद्यपि इतने ही पर्याप्त नहीं हैं, तथापि, दुःखकी बात तो यह है कि इस काममें बहुत ही शिथिलता बरती जा रही है! अबतक बहुत ही थोड़ा काम हुआ है। सरकारसे निवेदन है कि स्वीकृत योजनाके अनुसार शीघ्र कार्य करे। जबतक वृद्ध अपंग गायोंके रखनेकी संतोषजनक व्यवस्था गो-सदनोंके द्वारा नहीं होगी, तबतक सम्पूर्ण गोवधबंदीका कानून बननेपर भी बूढ़ी, अपंग गायोंके निराश्रय होकर मरते रहनेकी सम्भावना रहेगी ही।

वृद्ध और अपंग पशुओंकी रक्षा आर्थिक दृष्टिसे भी लाभदायक है

आजकल कहा जाता है कि जो पशु अनुत्पादक और अनुपयोगी हों, उनको तो मार ही डालना चाहिये। यहाँतक कि 'राष्ट्रिय-योजना-कमेटी' ने अपनी रिपोर्टमें लोगोंके भोजन-सम्बन्धी अभ्यास और धार्मिक भावनामें क्रान्ति उत्पन्न करके अनुपयोगी पशुओंका भोजनके रूपमें प्रयोग किये जानेकी राय दी है; यद्यपि हमारी संस्कृतिके अनुसार अनुपयोगी बताकर गोमाताका वध करनेकी बात कहना बूढ़े माता-पिताके वधकी सम्मति देनेके समान ही महापाप है। पर सच कहा जाय तो जितनी संख्या अनुत्पादक या अनुपयोगी बतलायी जाती है, उतनी है भी नहीं और जो है उसमेंसे पर्याप्त चारा-दाना मिलनेपर बहुत-सी उत्पादक और उपयोगी बन सकती हैं। यह अनुभवसे सिद्ध हो चुका है। पर जो सर्वथा अनुपयोगी, वृद्ध और अपंग पशु हैं, वे भी वस्तुतः लाभदायक हैं। इस सम्बन्धमें सेठ गोविन्ददासजीने कहा है—

'आर्थिक दृष्टिसे जो पशु बेकाम कहे जा रहे हैं, वे यथार्थमें बेकार हैं या नहीं, इसपर हमें विचार करना होगा। प्रामाणिक ग्रन्थोंके आधारपर एक पशुपर कितना व्यय होता है, इसपर विचार कीजिये। सरकारी गोसंवर्धन कौंसिलके अनुमानके अनुसार एक पशुको गो-सदनमें रखनेका आरम्भिक व्यय १५) रुपये हैं और प्रतिवर्ष १०)

रुपये निगरानी इत्यादिपर व्यय आता है। यदि एक वृद्ध और अपंग पशु अधिक-से-अधिक ५ वर्ष जीवित रहे तो उसपर औसत खर्च १५) रुपये प्रतिवर्ष होगा। इस पशुके मरनेपर चमड़े, हड्डी इत्यादिसे यदि कम-से-कम २५) रुपये आय हो तो १०) रुपये प्रतिपशु प्रतिवर्ष व्यय हुआ।

भारतसरकारकी वैज्ञानिक पत्रिका 'वेटर्नरी साइंस एण्ड ऐनिमल हसबैंडरी' के मार्च १९४१ के प्रकाशित एक लेखमें बताया गया था कि औसत गायको जीवित रखनेके लिये ४ सेर नित्य या वर्षमें ३६ मन सूखा चारा चाहिये। जिसका मूल्य अधिक-से-अधिक ३) रुपया प्रतिमनके हिसाबसे १०८) रुपये वार्षिक होता है। इस हिसाबमें वह चारा, जो पशु वर्षाके दिनोंमें या अन्य दिनोंमें गोचरभूमियोंमें चरता है, वह कम नहीं किया गया। सब खर्च लगा लेनेपर अधिक-से-अधिक १०८) रुपये चारेपर एक पशु जीवित रहता है। जैसा कि आयके हिसाबमें बतलाया गया है। एक पशुसे १२५) रुपये वार्षिक आय होती है और गो-सदनमें रखनेसे १५) रुपये तथा घरमें रखनेसे १०८) रुपये व्यय पड़ता है। इस हिसाबसे गो-सदनमें रखा जानेवाला ११०) रुपये वार्षिक और घरमें रखा जानेवाला १८) रुपये वार्षिक लाभ देता है; यदि सरकार और जनता—दोनों गोबर और गोमूत्रको ठीक-ठीक उपयोगमें लावें और मरे हुए पशुके चमड़े और हड्डीका ठीक-ठीक उपयोग हो तो एक वृद्ध, अपंग,अनुपयोगी कहलानेवाला पशु भी हानिकारक नहीं, लाभदायक है। यह तो व्ययके हिसाबसे हुआ, अब आयके हिसाबसे देखिये। 'पञ्चवर्षीय योजना' के १८वें अध्यायमें 'कृषि-उन्नतिकी कुछ समस्याएँ' के २३वें पैराग्राफमें लिखा है कि १९५१ की पशु-गणनाके हिसाबसे ८०० मिलियन टन या अनुमानतः २२ अरब ५० करोड़ मन गोबर वार्षिक होता है। इसमेंसे आधा या सवा ग्यारह अरब मन खादके काममें और आधेके करीब जलानेके काममें आता है। सिंदरीके कारखानेके सल्फेटका भाव जिसमें अनुमान २० प्रतिशत नाइट्रोजन होता है,

उसका २८०) रुपये टन १० रुपये प्रतिमन है। गोबरका खाद ऐमोनियम सल्फेटसे निस्संदेह अच्छी चीज है, पर उसमें नाइट्रोजन कम-से-कम २ प्रतिशत है। इस हिसाबसे नाइट्रोजनके अनुपातको देखते हुए गोबर एक रुपये मन पड़ता है, अर्थात् पञ्चवर्षीय योजनाके लेखकोंके अनुमानके अनुसार जो गोबर खादके काम आता है, उसका मूल्य ११ अरब रुपये होता है। ईंधनके काम आनेवाला गोबरका मूल्य खादके काम आनेवाले गोबरके बराबर नहीं, पर कम-से-कम एक चौथाईके बराबर लगभग तीन अरब रुपये अवश्य हैं। इस हिसाबसे खाद और जलानेवाले दोनों प्रकारके गोबरका मूल्य १४ अरब रुपयेसे कम नहीं।

यह पञ्चवर्षीय योजनाके विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं। इसी पैरे २३ में लिखा है कि गोमूत्रका अनुमान इस गोबरमें नहीं लगाया गया। अतः जो यह कहा जाता है कि ये पशु बेकार हैं, ये पशु आर्थिक दृष्टिसे रखनेके कामके नहीं हैं, यह बिलकुल गलत बात है। मैंने जो हिसाब प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनपर जो खर्च होता है, वह उनसे जो आय होती है उससे बहुत कम है।

दूधकी कमी और अच्छे साँड़ोंकी आवश्यकता

आज हमारी गाय इतनी निर्बल है कि वह संख्यामें बहुत अधिक होनेपर भी दुग्धोत्पादनमें बहुत ही पीछे है। आजकल प्रति मनुष्य औसत भारतवर्षमें लगभग ३ औंस यानी डेढ़ छटाँक (किसी-किसीके मतमें ७ औंस) दूध मिलता होगा, जब कि न्यूजीलैंडमें ५६, आस्ट्रेलियामें ४५, इंगलैंडमें और अमेरिकामें ३५ औंस मिलता है। शरीरकी संतोषजनक वृद्धि और स्वास्थ्यरक्षाके लिये कम-से-कम १५ से ३० औंसतक दूध तो मिलना ही चाहिये। इसी दूधके अभावके कारण बच्चोंकी मृत्यु-संख्या बहुत अधिक होती है। हमारे यहाँकी गाय सालभरमें औसत ७५० पौंड दूध देती है तथा दो ब्यानोंके बीचका अन्तर भी दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत लम्बा होता

है। अतएव नस्ल-सुधारकी बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये खूराक तो पूरी चाहिये ही, पर उत्तम साँड़ोंकी भी बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ अनुमानतः जहाँ २५० अच्छे सांतानिक साँड़ोंकी आवश्यकता है, वहाँ केवल एक ही ऐसा साँड़ है। जिसकी माँ बहुत दूध देनेवाली हो, उसीसे उत्पन्न साँड़की संतान गौ अधिक दूध देनेवाली हो सकती है। सरकारी पञ्चवर्षीय योजनामें साँड़ तैयार करनेके लिये ६०० केन्द्रीय ग्रामयोजना तथा १२५ साँड़-फार्म बनानेकी योजना की गयी है। यह योजना यदि सफल हुई तो प्रतिवर्ष ६ हजार साँड़ निकलेंगे, पर गायोंकी संख्याको देखते यह संख्या बहुत ही कम है। विशेषज्ञोंके द्वारा ऐसे ही साँड़ तैयार कराये जायँ जो स्थानीय नस्लोंके लिये लाभदायक हों और उनसे उन्हींके अनुकूल गायोंको बर्दानेकी व्यवस्था करायी जाय जिससे उनकी नस्ल वर्णसंकरी होकर बिगड़ न जाय।

गोचर-भूमि तथा चारा-दाना

गायकी दुर्बलतामें चारे-दानेकी कमी भी एक प्रधान कारण है। कहना नहीं होगा कि भारतवर्षमें पहले प्रचुर गोचरभूमि थी। अंग्रेजोंके जमानेमें उनका बड़ा ह्रास हो गया। इधर कारखानों तथा रेलके विस्तारसे जंगल तथा चारेकी ऊसर जमीन भी रुकी जा रही है। गौओंकी ओर वस्तुतः किसीका ध्यान नहीं है।

पाकिस्तानसहित भारतवर्षका क्षेत्रफल १५७१९६४ वर्गमील अर्थात् ११६२९११९००० एकड़ भूमि है। इनमेंसे कुल २८६६५१७०५ एकड़ जमीन खेतीके काममें आती है।* शेष ८७६२६७२७५ एकड़ जमीनमें आबादी (नगर, गाँव, सड़क, रेल, तालाब आदि) हैं। ६३२५४७११ एकड़ भूमि ऊसर तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंगल है। विशेषज्ञोंका मत है कि चारेके लिये केवल ६४ (किसीके मतसे अधिक-से-अधिक ९०) लाख एकड़ जमीनसे अधिक नहीं है।

* सन् १९२२-२३ के अंकोंके अनुसार।

खेतोंके लिये अयोग्य भूमिमें जो कुछ चारा अपने-आप चौमासेमें पानीसे हो जाता है, बस, उसीपर पशुओंको निर्भर रहना पड़ता है। असलमें चारा उपजाया ही नहीं जाता। लगभग २॥ सेरसे अधिक चारा (हरा-सूखा मिलाकर औसत) कठिनतासे मिलता है। यह स्थिति है। इधर पाश्चात्त्य देशोंको देखिये—ग्रेटब्रिटेनमें कुल ७॥। करोड़ एकड़ भूमि है और २ करोड़ ३० लाख एकड़ जमीन स्थायी गोचरभूमिके लिये है। जर्मनीमें ६॥ करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है और २ करोड़ १४ लाख एकड़ गोचरभूमि है। न्यूजीलैंडमें ६ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन है, जिसमें २ करोड़ ७२ लाख एकड़ गोचरभूमि है। अमेरिकामें लगभग ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमि होगी, वहाँ खास तौरपर बढ़िया घास-चारा उपजाया जाता है। हमारे यहाँ पशुओंकी आवश्यकतासे २२ प्रतिशत चारा और ७२ प्रतिशत दाना कम मिलता है। इसलिये गोचरभूमिकी प्रचुरता और दाने-चारेकी व्यवस्था परमावश्यक है। हमारे यहाँ करोड़ों एकड़ जमीन व्यर्थ पड़ी है, उसमें तरह-तरहके उपयोगी घास तथा चारा उपजाया जाय; चारेका ठीक उपयोग हो और बिनौले, ग्वार, खली आदिका उत्पादन बढ़ाकर उनका उपयोग केवल पशुओंके लिये ही किया जाय तो इस स्थितिमें सुधार हो सकता है। इधर सरकार और जनताको विशेष ध्यान देना चाहिये।

गोवध-निषेध, गो-रक्षा, गो-संवर्धनके लिये क्या-क्या करना चाहिये!

१. गोवध भारतका कलङ्क है, अतएव कतई गोवधबंदीका कानून सब जगह बन जाय, इसके लिये सतत और सबल प्रयत्न करना चाहिये। जबतक सर्वथा गोवधबंदीका कानून सब स्टेटोंमें न बन जाय, तबतक आन्दोलनको शिथिल न होने दिया जाय।

२. बूढ़ी, बेकाम गायोंके लिये गो-सदनोंकी स्थापना करना-कराना। जिनमें गायके अपनी मौत मरनेके समयतक उसके लिये

आवश्यक चारे-पानी और चिकित्साकी सुव्यवस्था हो। नस्ल न बिगड़े, इस दृष्टिसे वहाँ गायोंकी बरदाया न जाय।

३. गायकी नस्ल-सुधारका प्रयत्न करना, जिससे गाय प्रचुर दूध देनेवाली हो, बैल मजबूत हों और मरे हुए गाय-बैलकी अपेक्षा जीवित गाय-बैलका मूल्य बढ़ जाय। इस प्रकार गायको आर्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बी बनाना।

४. कलकत्ते आदि शहरोंमें जहाँ गायके रखनेके लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, जहाँ कृत्रिम और निर्दय उपायोंसे दूध निकाला जाता है, बछड़े मरने दिये जाते हैं, दूध सूखते ही गाय कसाईके हाथ बेच दी जाती है, कानूनी प्रतिबन्ध होनेपर म्युनिसिपलिटीकी सीमासे बाहर ले जाकर गाय मार दी जाती है। वहाँ जबतक ये बातें दूर न हों बाहरसे गायको कतई न जाने देना। स्थानकी सुविधा कराना तथा सरकारके द्वारा ऐसी व्यवस्था कराना, जिसमें गायोंको दिये जानेवाले ये सब कष्ट दूर हों।

५. गायको भरपेट चारा-दाना मिले इसके लिये व्यवस्था करना। गोचर-भूमि छुड़वाना। नये-नये चारेकी खेती कराना।

६. वर्तमान पिंजरापोल, गोशालाओंका सुधार करना और जो पिंजरापोल, गोशाला दयाभावसे केवल बूढ़ी-अपंग गायोंके लिये खोले गये हैं, उन्हें डेरीफार्म न बनाकर उसी कामके लिये रहने देना।

७. गायोंका गर्भाधान, विशेष दूध देनेवाली गौके पुत्र, बलवान् तथा श्रेष्ठ जातिके साँड़से ही कराना। ऐसे साँड़ोंका निर्माण तथा विस्तार करना, बूढ़े साँड़ोंसे गर्भाधानका काम कतई न लिया जाना।

८. कसाईखानोंमें मारी हुई गायके चमड़े इत्यादिसे बनी हुई वस्तुएँ—जूते, बटुए, कमरपट्टे, बिस्तरबंद, घड़ीके फीते, चश्मेके घर, पेटियाँ, हैंडवेग आदिका व्यवहार न करनेकी शपथ करना-कराना।

९. गोवधमें सहायक चमड़े, मांस आदिका व्यापार, जिससे गोवध होता है बिलकुल न करना।

१०. गो-सदनोंमें, पिंजरापोलोंमें और सर्वसाधारणके द्वारा भी मरे हुए पशुओंके चमड़े, हड्डी, सींग, केश आदिसे अर्थ उत्पन्न करना और उसे बूढ़ी, अपंग गायोंकी सेवामें लगाना।

११. ट्रैक्टरोंका व्यवहार न करके या कम करके हल जोतनेका काम केवल बैलोंसे ही लेना तथा रासायनिक खादका उपयोग न करके गोबर, गोमूत्रकी खादसे ही काम लेना।

१२. बेजिटेबल—जमाये तेलकी घीमें मिलावट न हो, इसके लिये उसे अवश्य रँग देनेकी व्यवस्था सरकारसे कराना।

१३. चमड़ा, चर्बी, खून, हड्डी आदि जिन-जिन वस्तुओंके लिये गाय मारी जाती है तथा जिन कार्यों, कारखानों, मोटरगाड़ी आदि वाहनोंमें ये चीजें बरती जाती हैं, उनका पता लगाकर कारखानेवालोंसे तथा दूसरे इससे सम्बन्ध रखनेवालोंसे प्रार्थना करना कि वे इन चीजोंको काममें न लावें।

१४. यथासाध्य गायके ही दूध, दही, घीका व्यवहार करना।

१५. गोरक्षाके लिये सभी लोग प्रतिदिन अपने-अपने इष्टदेव भगवान्‌से आर्त प्रार्थना करें।

गौके सम्बन्धमें कुछ विशिष्ट पुरुषोंके उद्गार

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज—

'जो हिंदू धर्मशास्त्रपर विश्वास रखते हैं, उन्हें चाहिये कि चतुर्वर्ग-फल-सिद्ध्यर्थ शास्त्रविधानके अनुसार गोसेवा करते हुए गोधनकी वृद्धि करें और जो धर्मशास्त्रपर आस्था नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि 'अर्थ' और 'काम' की सिद्धिके लिये अर्थशास्त्रके नियमोंके अनुसार गो-पालन करते हुए गोवंशकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करें।'

कामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यजी महाराज—

'जिन्होंने जगत्के हितकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है, उन देशके शासकोंको खूब विचार करके तुरंत गोहिंसा-निवारण और गो-संरक्षणके कार्यमें लग जाना चाहिये। और सर्वसाधारणको भी सावधानीके साथ गौओंकी रक्षा करनी चाहिये।'

श्रीस्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज—

'बूढ़ी, लूली, लँगड़ी, रोगिणी, दूध न देनेवाली, चाहे किसी भी प्रकारकी गौ हो उसकी उपेक्षा करना महापाप है। हर तरहसे [illegible] उनकी रक्षा, सेवा-पूजा कुटुम्ब, समाज तथा राष्ट्रका [illegible] होती है।'

[illegible] महान् कर्मठ श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी—

'[illegible] संसारमें हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो [illegible] गोरक्षा करनी पड़ेगी।'

संत विनोबा भावेजी—

'इस देशमें गोहत्या नहीं चल सकती। गाय-बैल हमारे समाजमें दाखिल हो गये हैं। सीधा प्रश्न यह है कि आपको देशका रक्षण करना है या नहीं। यदि करना है तो गो-वध भारतीय संस्कृतिके अनुकूल नहीं आता। इसका आपको ध्यान रखना चाहिये। गो-हत्या जारी रही तो देशमें बगावत होगी। गो-हत्याबंदी भारतीय जनताका मैनडेट या लोकाज्ञा है और प्रधान मन्त्री महोदयको इसे मानना चाहिये।'

'हिंदुस्थानमें गोरक्षा होनी चाहिये। अगर गोरक्षा नहीं होती तो कहना होगा कि हमने अपनी आजादी खोयी और इसकी सुगन्ध गँवायी।'

गोजीवन श्रीबालकृष्ण मार्तण्ड चौंडेजी महाराज—

'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके साधनका मूल गो-देवता ही है।'

माननीय राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजी—

हिंदुस्थानमें गायोंके लिये इस तरहकी भावना है कि उनका मारना लोग पसंद नहीं करते। यह जो बहादुरीकी सलाह दी जाती है कि जितने खराब जानवर हैं, उनको कतल कर दिया जाय तो मैं समझता हूँ—'बहादुरी ज्यादा है, बुद्धिमानी नहीं है।' यदि हम इस कामको करना चाहेंगे तो अपने खिलाफ एक बड़ी जमायत पैदा कर लेंगे।'

मध्यप्रान्तके राज्यपाल श्री० वी० पट्टाभि सीतारामैया—

'हिंदुस्थानमें तीन माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक गौ है। ये तीन माताएँ हैं—गोमाता, भूमाता और गङ्गामाता। ये तीनों हिंदुस्थानके लोगोंको पोसती हैं—गोमाता बच्चोंको दूध पिलाती और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करती है, भूमाता और गङ्गामाता परस्पर मिलकर फसल खड़ी करतीं और मनुष्योंको अन्न तथा पशुओंको चारा देती हैं। इसलिये तीनों पूजी जाती हैं।'

उत्तर प्रदेशके मुख्यमन्त्री पं० श्रीगोविन्दवल्लभजी पंत—

'हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख—सभी धर्मावलम्बियोंके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य है। हिंदू-समाजमें हजारों वर्षोंसे गौका स्थान जननी—माताके तुल्य माना गया है। गायको कामधेनु और सुरभिकी पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक दृष्टिसे देखा जाय तो भी हमारे ऐहिक जीवनके लिये गोवंशकी उन्नतिकी परम आवश्यकता है।'

राजर्षि श्रीपुरुषोत्तमदासजी टंडन—

'गोरक्षा भारतीय संस्कृतिका एक अङ्ग है। मुझे आशा है कि प्रत्येक भारतीयको भारतीय संस्कृतिके इस अङ्गका पोषण करना चाहिये, फिर उसका धर्म कोई भी क्यों न हो।'

भारत-सरकारके अन्न-कृषि-मन्त्री माननीय श्रीरफींअहमद किदवई साहेब—

'गोवध-निषेधका प्रश्न अब दीर्घकालतक स्थगित नहीं रखा जा सकता। जनतन्त्रके सिद्धान्तानुसार जनताकी माँगको स्वीकार करना ही चाहिये।'

राजगुरु श्रीधुरेन्द्र शास्त्रीजी—

'मुझे विश्वास है कि भारत-सरकार समयकी गतिको पहचानेगी और गोवध-निषेधके ठीक कार्यको, ठीक समयपर और ठीक ढंगसे करेगी।'

श्रीजयदयालजी गोयन्दका

'जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके प्रति निर्दयताके व्यवहारको नहीं सहेगा। गो-हिंसाकी तो वह कल्पना भी नहीं सह सकता।'

परिशिष्ट

कुम्भमहापर्वके अवसरपर गोवधके विरुद्ध प्रबल जनमत

गत कुम्भमहापर्वके अवसरपर प्रयागमें सर्वसाधारणने चारों ओरसे रोते हुए हृदयसे गोवध बंद होनेके लिये पुकार की। बाहरसे पधारे हुए तथा स्थानीय विभिन्न महात्माओं, संतों, मण्डलेश्वरोंकी तथा अनेक संस्थाओंकी ओरसे बहुत-से 'गोरक्षासम्मेलन' हुए। सम्मेलनोंमें साधु-महात्मा, विद्वान्-पण्डित, धनी-गरीब सभी मत-मतान्तरोंके साथ सभी श्रेणीके लोगोंने पूर्णरूपसे भाग लिया और सभीने एकमतसे शीघ्र-से-शीघ्र कानूनीरूपसे सर्वथा 'गोवधबंदी' की माँग की तथा विविध उपायोंसे गोरक्षण, गोसंवर्धन और गोपालनके विषयमें विचार तथा निश्चय किया। गत माघ शुक्लप्रतिपदा ता० ४ फरवरीको विभिन्न शिविरोंमें गोरक्षार्थ 'भगवत्प्रार्थना' की गयी और संध्याके चार बजेतक उपवास-व्रतका पालन किया गया। सभी अन्नसत्र उस दिन चार बजेतक बंद रहे।

गोवध शीघ्र-से-शीघ्र बंद करनेके लिये एक प्रस्तावपर १११ प्रसिद्ध संत-महात्मा, साधु-संन्यासी, शंकराचार्य, मण्डलेश्वर-महंत, वैष्णवाचार्य तथा अन्यान्य सभी सम्प्रदायोंके संत-विद्वानोंने हस्ताक्षर किये और प्रधानमन्त्री माननीय पं० श्रीनेहरूजीसे एक प्रतिनिधिमण्डलने मिलकर उनके सामने यह हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव तथा सारी परिस्थिति रखी। वर्तमान समयमें कितना अधिक गोवध हो रहा है तथा खाल एवं गोमांसका निर्यात किस तेजीसे बढ़ा है, इसके आँकड़े भी माननीय पं० श्रीनेहरूजीको दिये गये।

उत्तर प्रदेशके मुख्यमन्त्री माननीय पं० श्रीगोविन्दवल्लभजी पन्त तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री माननीय डॉ० श्रीकैलाशनाथजी काटजूसे भी प्रतिनिधिमण्डल मिला।

आशा करनी चाहिये कि यदि यह शान्तिपूर्ण और अत्यावश्यक आन्दोलन जारी रहा और क्रमश: जोर पकड़ता गया तो भगवत्कृपासे वह दिन शीघ्र ही देखनेको मिलेगा जब कि भारत गोवधके कलङ्कसे छूट जायगा।

इस प्रयत्नको जारी रखनेके लिये स्थान-स्थानपर जोरोंसे प्रचार होना चाहिये, सम्मेलन होने चाहिये, गोरक्षाके अन्य विविध उपायोंको भी सोचना चाहिये। अत: सब महानुभावोंसे अनुरोध है कि वे अपने यहाँ गो-सम्मेलन करें। होनेवाले सम्मेलनोंमें तन-मन-धनसे सहायता करें। गोरक्षा-आन्दोलनमें सब प्रकारसे योग दें और गो-माताके प्राण बचानेमें सहायक होकर अपने कर्तव्यका पालन करें। साथ ही इस सम्बन्धमें अपने सुझाव भेजनेकी कृपा करें।

विभिन्न संस्थाओं और सभी मत-मतान्तरोंके सज्जनोंकी एक 'गोहत्यानिरोध-समिति' बनायी गयी और समितिने निर्णय किया है कि शीघ्र ही पाँच लाख प्रतिज्ञापत्र भरवाये जायँ। प्रतिज्ञापत्र दो प्रकारके हैं जिनका नमूना नीचे दिया जाता है। जो सज्जन गौसे प्रेम रखते हैं, वे कृपया १८ वर्षसे बड़ी आयुके बहिन-भाइयोंसे उन प्रतिज्ञापत्रोंपर हस्ताक्षर कराकर नीचे लिखे पतेपर भेजनेकी कृपा करें। प्रतिज्ञा-पत्रके छपे फार्म भी इसी पतेपर पत्र लिखकर मँगवा लें।

पता—लाला हरदेवसहाय संयोजक—'गोहत्या-निरोध-समिति, ३ सदर थाना रोड, दिल्ली ६।'

(१)

सक्रिय गोसेवकके लिये प्रतिज्ञापत्र

मैं गो-रक्षाके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ करता हूँ।

१. जबतक देशभरमें सम्पूर्ण गो-हत्या बंद न होगी, महीनेमें कम-से-कम एक दिन (सुदी अष्टमी) गोरक्षा-प्रचार तथा प्रत्यक्ष गोसेवाके लिये दूँगा।
२. गो-हत्या-निषेधके लिये जो आन्दोलन होंगे, उनमें सहयोग और सहायता दूँगा।
३. गो-हत्या बंद करनेके लिये बड़े-से-बड़ा बलिदान देनेको तैयार रहूँगा।
४. संसद्, एसेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड आदिके चुनावमें अपना मत या वोट सम्पूर्ण गोवधबंदी करवाने तथा गोपालनकी लिखित प्रतिज्ञा करनेवाले पक्ष, पार्टी या उम्मीदवारको ही दूँगा।
५. गो-सेवाका रचनात्मक कार्य करूँगा।
६. कसाई या अनजान ग्राहकके हाथ गाय न बेचूँगा।
७. गोदुग्धका ही व्यवहार करूँगा।
८. वध किये हुए गोवंशके चमड़े तथा इससे बनी चीजोंका व्यापार एवं व्यवहार न करूँगा।
९. वनस्पति घी, निर्घृत दुग्ध, चूर्ण, मूँगफलीका दूध, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर आदि जिन चीजोंसे गोवंशको हानि पहुँचती है, उनका व्यवहार तथा व्यापार न करूँगा।
१०. अपने इष्ट तथा श्रद्धाके अनुसार नित्य भगवान्से गोरक्षाके लिये प्रार्थना करूँगा।

हस्ताक्षर

नाम पिताका नाम आयु

पूरा पता—

जो भाई-बहिन उपर्युक्त १० प्रतिज्ञाएँ न कर सकें, वे निम्नलिखित आठ प्रतिज्ञाएँ करें—

(२)

गोसेवकके लिये प्रतिज्ञापत्र

मैं गो-रक्षाके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ करता हूँ।

१. जबतक देशभरमें सम्पूर्ण गो-हत्या बंद नहीं होगी, महीनेमें कम-से-कम एक दिन (सुदी अष्टमी) गोरक्षा-प्रचार तथा प्रत्यक्ष गोसेवाके लिये दूँगा।

२. गो-हत्या-निषेधके लिये जो आन्दोलन होंगे, उनमें सहयोग और सहायता दूँगा।

३. संसद्, एसेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड आदिके चुनावमें अपना मत या वोट सम्पूर्ण गोवधबंदी कराने एवं गोपालनकी लिखित प्रतिज्ञा करनेवाले पक्ष, पार्टी या उम्मीदवारको ही दूँगा।

४. गो-सेवाका रचनात्मक कार्य करूँगा।

५. कसाई या अनजान ग्राहकके हाथ गाय न बेचूँगा।

६. वध किये हुए गोवंशके चमड़े तथा इससे बनी चीजोंका व्यापार एवं व्यवहार न करूँगा।

७. अपने इष्ट तथा श्रद्धाके अनुसार नित्य भगवान्से गोरक्षाके लिये प्रार्थना करूँगा।

८. समय आनेपर बड़े-से-बड़ा बलिदान देनेको तैयार रहूँगा। (जो सज्जन इसका पालन न कर सकें वे इसपर लकीर फेर दें)।

हस्ताक्षर

नाम पिताका नाम आयु

पूरा पता—

गो-भक्त सज्जनों तथा देवियोंसे नम्र निवेदन है कि वे इन प्रतिज्ञापत्रोंके भरने-भरानेमें सहयोग दें तथा अन्य उचित और सम्भव सभी साधनोंसे गोमाताके प्राण बचानेमें यथासाध्य सब तरहकी सहायता करें।

॥ श्रीगोमाताकी जय ॥

गायका माहात्म्य

१—माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥

गाय रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदिति-पुत्रोंकी बहिन और घृतरूपी अमृतका खजाना है। प्रत्येक विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध और अवध्य गाय—गोका वध न करो। (ऋग्वेद ८। १०। १५)

२—यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरुषम्।
तं त्वां सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥

यदि तू हमारी गौ, घोड़े तथा पुरुषकी हत्या करता है तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे बींध देंगे, जिससे तू हमारे वीरोंका वध न कर सके। (अथर्व० १। १६। ४)

३—नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः।
बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः॥
यया द्यौर्यया पृथिवी ययाऽऽपोगुपिता इमाः।
वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि॥

हे अवध्य गौ! उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम! तुम्हारे रूप (शरीर), रोम और खुरोंको भी प्रणाम! जिसने द्युलोक, भूमण्डल एवं इन जलोंको भी सुरक्षित रखा है, उन सहस्रों धाराओंसे दूध देनेवाली गौको लक्ष्यमें रख हम स्तोत्रका पाठ करते हैं। (अथर्व० १०। १०। १, ४)

४—अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥

अदिति (हिंसाके अयोग्य तथा दूध-दही-मक्खन-घी आदि)

पदार्थ देनेवाली यानी गौ) ही द्युलोक है, अदिति ही अन्तरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है, अदिति ही सारे देवता हैं,....अदिति ही अतीतकालीन वस्तुसमूह है और भविष्यमें होनेवाला सब कुछ भी अदिति ही है।

(ऋगवेद १। ८९। १०)

५—दूधसे बढ़कर कोई जीवन बढ़ानेवाला आहार नहीं है।

(कश्यपसंहिता)

६—गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः।

गौएँ पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं। समस्त लोक गौओंमें ही प्रतिष्ठित हैं। (अग्निपुराण २९२)

७—समस्त गौएँ साक्षात् विष्णुरूपा हैं, उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें भगवान् केशव विराजमान रहते हैं। (ब्रह्माण्डपुराण)

८—गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगोमय है। विष्णु सर्वदेवमय हैं। गाय इन विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई है; विष्णु और गाय—दोनोंके ही शरीरमें देवता निवास करते हैं। इसलिये मनुष्य गायोंको सर्वदेवमयी मानते हैं।

(स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड-रेवाखण्ड, अ० ८३; श्लोक १०४ से ११०, ११२)

९—ब्राह्मणों और गायोंका एक ही कुल है, केवल दो भागोंमें स्थित है। एक भागमें मन्त्र है और दूसरेमें यज्ञीय हवि प्रतिष्ठित है। (स्क० नागर० २७८। १०)

१०—गौका स्पर्श करने, ब्राह्मणको नमस्कार और गुरु-देवताका भलीभाँति पूजन करनेसे गृहस्थ सारे पापोंसे छूट जाते हैं।

(स्कन्द० प्रभास० व० मा० अध्याय १६)

११—.....मनुष्यको सर्वोत्तम पुष्टिके लिये गायका स्पर्श करना चाहिये, इससे वह सारे पापोंसे छूट जाता है।

(पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड अ० ४८)

१२—गौओंको केवल परिक्रमा करके प्रणाम करनेसे ही मनुष्य सारे पापोंसे छूटकर अक्षय स्वर्गका भोग करता है। सात गौओंकी परिक्रमा करनेके कारण बृहस्पति सबके वन्दनीय, माधव सबके पूज्य और इन्द्र ऐश्वर्यवान् हो गये हैं। (पद्म० सृष्टि० ४८। १४५-१४६)

१३—गायें मनुष्योंकी बन्धु हैं और मनुष्य गायोंके बन्धु हैं। जिस घरमें गाय नहीं है, वह घर बन्धुशून्य है। (पद्म० सृष्टि० ४८। १५६)

१४—जीवनदानसे बढ़कर और कोई भी उत्तम दान नहीं है। इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नोंसे सबको प्राण-दान देना चाहिये। अहिंसा सब फल देनेवाली है और परम पवित्र है। प्राणियोंको जीवनका दान सर्वश्रेष्ठ दान है। (वायुपुराण ८०। १७-१८)

१५—गोरक्षा, अबला स्त्रीकी रक्षा, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्राण दे देते हैं, राजेन्द्र युधिष्ठिर! वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं।

(महा० आ० १००। ११८)

१६—जो उच्छृङ्खलतावश मांस बेचनेके लिये गौकी हिंसा करते या गोमांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाईको गायको मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान् पापके भागी होते हैं। गौको मारनेवाले, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक नरकमें पड़े रहते हैं।

(महा० अनु० ७४। ३-४)

१७—……गोदान करनेसे मनुष्य सात पीढ़ी पहलेके पितरोंका और सात पीढ़ी आनेवाली संतानोंका उद्धार करता है।

(महा० अनु० ७४। ८)

१८—जिस गौसे यह स्थावर-जङ्गम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं सिर नवाकर प्रणाम करता हूँ।

(महा० अनु० ८०। १५)

१९—गौएँ दूध तथा घीके द्वारा प्रजाका पालन करती हैं तथा

इनके संतान (बैल) भी खेतीमें सहायता करते हैं। वे ही नाना प्रकारके धान्य एवं बीजोंको उत्पन्न करते हैं, जिनसे यज्ञ होते हैं और देवताओं एवं पितरोंकी सब ओरसे तृप्ति होती है।

(महा० अनु० ८३। १८-१९)

२०—गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे।
गृह्णीयातां विप्रविशौ शस्त्रं धर्मव्यपेक्षया॥

गौ और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये और वर्णसंकर होनेसे प्रजाको बचानेके लिये ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्र धारण करें।

(बौधायनस्मृति २। २। ८०)

२१—……ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाले, बाँझ गायको हलमें जोतनेके लिये नाथनेवाले और पशुओंका हरण करनेवालेके लिये राजाको चाहिये कि उसका आधा पैर कटवा दे। (मनु० ८। ३२५)

२२—गो-दुग्धमें दस गुण हैं। (चरकसंहिता)

२३—यथा माता पिता भ्राता अञ्जे वापि च ञातका।
गावो नो परमा मिता यासु जायन्ति ओसधा॥

जैसे माता, पिता, भाई और दूसरे कुटुम्ब-परिवारके लोग हैं, वैसे ही गायें भी हमारी परम मित्र (हितकारिणी) हैं, जिससे (अर्थात् जिनके दूधसे) दवा बनती है।

अन्नदा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा।
एतमत्थवशं ञत्वा नास्सु गावो हनिंसु ते॥

गाय इतनी चीजोंको देनेवाली है—अन्न, बल, वर्ण (सौन्दर्य) तथा सुख। इन बातोंको जानकर ही (पहलेके) वे (लोग) गायको नहीं मारते थे। ('भगवान् बुद्ध—ब्राह्मण धम्मिकसुत्त' में)

२४—गोगा हि सब्ब गिहीनं, पोसका भोगदायका॥
तस्मा हि माता पितू व, मानये सक्करेय्य च।
ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंसं व खादये॥

सब गृहस्थोंको गो (भोग्य पदार्थ) देनेवाले और पोसनेवाले गौ-बैल ही हैं। इसलिये माता-पिताके समान उन्हें पूज्य मानें और उनका सत्कार करें। जो गोमांस खाते हैं, वे अपनी माताका मांस खाते हैं।

(लोकनीति ७। १४-१५)

25-Thou shalt not kill and ye shall be holy man unto me. Neither shall ye eat any flesh that is florn of beasts in the field-

'तू किसीको मत मार। तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह। जंगलोंके प्राणियोंका वध करके उनका मांस मत खा।'

(ईसामसीह)

२६—एक बैलको मारना एक मनुष्यके कत्लके समान है।

(ईसाइयाह ६६। ३)

२७—......यदि मेरे मांस खानेसे किसी भाईको कष्ट होता है तो मैं संसारकी अन्तिम स्थितितक केवल मांस खाना ही नहीं छोड़ता बल्कि यह भी चाहता हूँ कि मुझसे किसी तरह भी किसीको भी कष्ट न पहुँचे। (१ कोरिन्थियंस ८। १२-१३)

२८—मांसके लिये ईश्वरकी बनायी हुई सृष्टिका संहार नहीं करना चाहिये। (रोमन्स १६। २०)

२९—ईश्वर मनुष्यजातिके लिये अभ्युदय तथा गौओंका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धि, सदाचार और दृढ़ता प्रदान करे।

(जरथुस्त्र—यश्न ४५। ९ पारसियोंका जरथुस्त्रीय धर्म-पुस्तक)

३०—न तो पशुओंको खाना और न पशुओंका शिकार ही करना यह हमारा जरथुस्ती नेक धर्म है। (फिरदौसी)

३१—गोश्त खानेसे परहेज रखो, इसकी आदत शराबके समान हानिकारक है। आदत लग जानेसे छूटती नहीं।

(हजरत उस्मान-पहला हदीस साइस्तामें)

३२—गायके दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हैं, उसका गोश्त नुकसानदेह है।

(पैगम्बर साहब—'नाशियात हादी' नामक पुस्तकमें)

३३—मुसल्मानोंको मुल्लाओं और पीरोंकी बातोंमें न आकर हिंदुओंके साथ शान्ति रखनी चाहिये। हिंदुस्थानके लिये गाय और बैल बड़े उपकारी जीव हैं, आपको इनके वंशकी वृद्धिकी चेष्टा करनी चाहिये।

(अफगानिस्तानके भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाखाँने बंबईयात्रामें कहा)

३४—तुम्हें अपने मनसे धार्मिक पक्षपातको अलग कर देना चाहिये। प्रत्येक धर्मके नियमके अनुसार उनके साथ न्याय करना और विशेषकर गोहत्यासे परहेज रखना......।

(बाबरका अपने पुत्र हुमायूँके नाम एक पत्रसे जमादियल-औअल ९३० हिजरी)

३५—गायकी कुर्बानी इस्लाम-धर्मका नियम नहीं है।

(फतबे हुमायूनी भाग १, पृ० ३६०)

३६—कड़ोरी व जागीरदारान परगने मथुरा, सहरा, मंगोध व ओड जो हर तरह पुस्त पनाहीमें हैं वे उम्मेदवार रहते हैं; जानें कि जहानकी तामील करने काबिल हुक्म जारी किया गया कि इसके बाद ऊपर लिखे परगनोंके इर्दगिर्द मोर जिबह न करें और शिकार न करें और आदमियोंकी गायोंको चरनेसे न रोकें.......।

(तर्जुमा फरमान अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजीक) तहरीर बतारीख रोज दी महर ११ खुरदादमाह इलाही सन् ३८ जलूसी (५ जून सन् १५९३ ईसवी) 'दार-उल-सल्तनत' लाहौर।

३७—गायकी कुर्बानीकी अपेक्षा भेड़ और बकरेकी कुर्बानी ठीक है।

(कुस्तुन्तुनियाँके सादिकका फतवा)

३८—न तो कुरान और अरबकी प्रथा ही गौकी कुर्बानीका समर्थन करती है।

(हकीम अजमल खाँ)

३९—वली हुकूमत अफगानिस्तानने ११० उलमा अहल सुन्नतके

फतवाके बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की।

('तोहफ-ए-हिंद,' बिजनौर ११-१२ नवम्बर १९२३)

४०—हिज एग्जाल्टेड हाइनेस हुजूर निजामने गायकी कुर्बानी बंद करनेका हुकुम सादिर फरमाया।

('तोहफ-ए-हिंद,' १८ नवम्बर १९३७)

४१-खंबातमें गौ, बछड़े, बैल मारनेकी सख्त मनाही थी। यहाँके हिंदुओंने बादशाहको 'कर' के रूपमें बड़ी रकम देकर यह अधिकार प्राप्त किया था और कोई मुसल्मान भी यदि गो-हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड दिया जाता था।

(मुगलकालीन इटालियन यात्री पीटर डी लॉवेलने अपने सूरतसे भेजे गये पत्र ता० २२-३-१६२३ में लिखा है।)

४२—हरगिज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास
कुर्बानियों के गोश्त और उनके खून।
अलबत्ता पहुँचता है अल्ला के पास
तुम्हारा तकना और परहेजगारी॥

(कुरानशरीफ सूर-ए-हज)

४३—परमेश्वर कहता है—लो; मैंने साग-पात, जो समस्त पृथ्वीपर है और नाना प्रकारके वृक्ष, जो फलोंसे लदे हुए हैं, तुम्हारे खानेके लिये पैदा किये हैं, न कि मांस।

(Cenesis. Chapter 1, 29)

४४—गोधन अर्थ और धर्म दोनोंका प्रबल पोषक है। अर्थसे ही काम (कामनाओं) की सिद्धि होती है और धर्मसे ही मोक्षकी। अतएव गोधनसे ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारोंकी प्राप्ति होती है।

(भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश)

४५—'**यतो गावस्ततो वयम्**' (गौएँ हैं इसीसे हमलोग हैं) यह बात सबको ध्यानमें रखनी चाहिये। 'गौएँ हमारी और हम गौओंके' यह भाव नष्ट हो जानेसे ही आज हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है।

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी श्रीशिरोलकर स्वामी महाराज, सकेश्वरमठ; करवीका उपदेश)

४६—जबतक गो-सम्पद् पूर्णरूपसे थी, भारतवर्ष तबतक जगत्का आदर्श था। जबसे गो-सम्पद् कम होने लगी, तभीसे भारतवर्षका गौरव भी दिनोंदिन कम होने लगा। हम आशा रखते हैं कि उपर्युक्त बात ध्यानमें रखकर सभी हिंदू अपनी गो-सम्पद्को पुनः बढ़ानेकी कोशिश करेंगे।

(अनन्तश्रीविभूषित द्वारकापीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका उपदेश)

४७—जिन्होंने जगत्के हितकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है, उन देशके शासकोंको तुरंत गोहिंसा-निवारण और गोसंरक्षणके कार्यमें लग जाना चाहिये। संसारभरके भावी संतानोंकी रक्षाके लिये गौओंकी और खाद्य द्रव्यकी उत्पादन-वृद्धिके लिये बैलोंकी अत्यन्त आवश्यकता है।

(अनन्तश्रीविभूषित कामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजका उपदेश)

४८—बूढ़ी, लूली-लँगड़ी, रोगिणी, दूध न देनेवाली—चाहे किसी भी प्रकारकी गौ हो उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप है। हर तरहसे आदरपूर्वक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रका मङ्गल करनेवाली होती है।

(पूज्यपाद श्री १००८ श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज)

४९—धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक—सभी दृष्टियोंसे ईश्वरकी सृष्टिमें गौका प्रमुख स्थान है, विशेषकर भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें।

(स्वामीजी श्रीहरिनामदासजी उदासीन)

५०—यह निश्चित है कि यदि भारतीय गोरक्षाके लिये कटिबद्ध

हो जायँ तो भारत पूर्ववत् सुखी हो सकता है।

(श्रीपूज्यपाद १००८ श्रीमद्गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराज)

५१—भगवान् श्रीरामके द्वारा किये गये गोहितका अनुभव करते हुए रामभक्त सदा गोहितका ध्यान रखते आये हैं। रामभक्त बननेके लिये हमें भी गो-सेवा करनी चाहिये।

(श्रीजगद्गुरु श्रीरामानुज-सम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य स्वामीजी महाराजका उपदेश)

५२—मानव आध्यात्मिक होनेके कारण ज्ञानके एकमात्र साधन ब्राह्मणको तथा भौतिक होनेके कारण घृत-दुग्ध आदि अमृतरसके एकमात्र साधन गौको महत्त्व देता है। इन द्विविध प्राणियोंसे आत्मतृष्णा और शरीरतृष्णा शान्त होती है।

(श्री १००८ श्रीउत्तराद्रि श्रीवैष्णवमठाधीश श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराजके दयैकपात्र स्वामीजी श्रीमाधवाचार्यजी महाराजका उपदेश)

५३—तो गोधनकी वृद्धि करो तुम, मिट जायेंगे सारे क्लेश।
गोरक्षासे ही हो सकता फिर समृद्धिशाली यह देश॥

(काशी-ज्ञानसिंहासनाधीश्वर श्रीजगद्गुरुवीरभद्रशिवाचार्य महास्वामी महाराज)

५४—गोरक्षा और हिंदुत्वमें अन्योन्याश्रम सम्बन्ध है। गोरक्षाके बिना हिंदुत्व नहीं और हिंदुत्वके बिना जैसी हम चाहते हैं, वैसी गोरक्षा नहीं हो सकती।

(पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज)

५५—देशको राष्ट्रघात और धर्मघातसे बचानेके लिये निमिषमात्र भी विलम्ब न करके तत्काल गो-सेवामें लग जाना चाहिये। कानूनके द्वारा गोहत्या बंद करानी होगी, जिससे गाय सुखी होगी और गायके साथ-साथ राष्ट्र भी सुखी होगा।

(गोजीवन श्रीश्रीबालकृष्ण मार्तण्ड चौंडेजी महाराज)

५६—यदि हम गौओंकी रक्षा करेंगे तो गौएँ भी हमारी रक्षा करेंगी। (महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय)

५७—हिंदुस्थानीसभ्यताका नाम ही गोसेवा है। इस देशमें गोहत्या

नहीं चल सकती। गोहत्या जारी रही तो इस देशमें बगावत होगी। गोहत्याबंदी हिंदुस्तानके लोगोंका 'मैन्डेट' (लोकाज्ञा) है। गोरक्षा नहीं हुई तो हम स्वतन्त्रताको खो देंगे।

(संत श्रीविनोबा भावे)

५८—हिंदुस्थानमें तीन माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक माता गौ है। गौ-माता बच्चोंको दूध पिलाती है और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करती है; इसलिये इसकी पूजा होती है।

(डॉ० श्रीवी० पट्टाभि सीतारामय्या)

५९—सभी भारतवासियोंको गोवंशके ह्रास और अवनतिको रोकने और उसकी वृद्धि तथा उन्नतिके उपायोंको कार्यान्वित करनेमें सहयोग देना चाहिये। हमारी तो प्रत्येक धार्मिक और आर्थिक इहलौकिक और पारलौकिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यह नितान्त परमावश्यक है।

(पं० श्रीगोविन्दवल्लभजी पंत; मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश)

६०—जानवरोंके सम्बन्धमें यह बात बहुधा सुननेमें आती है कि बेकार जानवरोंको समाप्त कर देनेसे ही दूसरोंको आराम मिल सकता है। इसी नीतिके अनुसार अनेक देशोंमें जरूरतसे ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जाते। भारतवर्ष इस नीतिका अवलम्बन नहीं कर सकता। इसलिये यह आवश्यक है कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाय, जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके और अपङ्ग तथा बेकार हुए जानवरोंकी हत्या भी न हो और अच्छे जानवर भी सुखी हो सकें।

(राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी)

६१—दैवकी कैसी विचित्र गति है कि जिस देशका तीन चौथाई जन-समाज गौको माता कहकर पूजता है, वहाँ तो गोवंशका दिन-दिन ह्रास हो रहा है और जहाँके लोग गौका मांस खाते हैं, वहाँ वह फले-फूले। गौके हित और सुखमें ही हिंदुस्थानकी इस महान्

जनताका हित, सुख, आरोग्य और समृद्धि है।

(स्वर्गीय डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी)

६२—भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व स्पष्ट है। गोधन ही हमारा प्रधान बल है। गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते।

(सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

६३—गायकी हड्डी और चमड़ेका व्यापार गोभक्षकोंके हाथमें है, इसीसे गायका वध बहुत बढ़ गया है। सच्चे गो-सेवकोंको यह व्रत लेना चाहिये कि हम मृत चर्मका ही उपयोग करेंगे।

(श्रीयुत द० बा० कालेलकर महोदय)

६४—हिंदुओंके जीवनके साथ गाय ऐसे अच्छेद्यरूपसे बँध गयी है कि उसकी समुचित परिचर्या उनका प्रधान धार्मिक कर्तव्य है।

(डॉ० श्रीराधाकुमुद मुकर्जी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

६५—यह हमें सर्वप्रथम जान लेना चाहिये कि गोमांस-भक्षण इस्लामधर्मका अङ्ग नहीं है। यदि कोई मुसल्मान गोमांस नहीं खाये तो इससे वह मुसल्मानोंकी श्रेणीमें नीचा नहीं हो जाता।

(डॉ० मुहम्मद हाफिज सैयद, एम्० ए०, डी० लिट्०, विद्याभूषण)

६६—यदि हिंदुओंको संसारमें जीवित रहना है तो गोवंशकी रक्षाके लिये मर-मिटनेको उद्यत हो जावें। गोवंशका नाश हो जानेपर हिंदू विनाशके मार्गपर अधिक शीघ्रतासे बढ़ते हुए नष्ट-निर्मूल हो जायँगे।

(धर्मप्राण पं० श्रीरामचन्द्र शर्मा 'वीर')

६७—गौ बिना ताजकी महारानी है, उसका राज्य सारी समुद्रवसना पृथ्वी है। सेवा उसकी विरद है और जो कुछ वह लेती है, उसे सौगुना करके देती है।

(श्रीमालकम आर० वैटर्सन, अमेरिका टेनेसी प्रान्तके भूतपूर्व गवर्नर)

६८—हमारी सभ्यता तो गोप्रधान सभ्यता ही है। गोवंश उन्नत न हो, वहाँ श्वेत जातिका गुजर नहीं हो सकता।

(श्रीमिलो हेस्टिंग्स)

६९—प्रत्येक बालकका आरोग्य—केवल आरोग्य ही नहीं, प्रत्युत बुद्धि उसके द्वारा पिये हुए दुग्धके परिमाण और प्रकारपर अधिक अवलम्बित है। भारतके ऐसे करोड़ों बच्चोंके शारीरिक विकासका आधार उनका आरोग्य, उनकी बुद्धि दूधके परिमाण और प्रकारपर निर्भर है। (लार्ड लिनलिथगो)

७०—कोई भी जाति या देश गायके बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकी है। गायके बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती और न लोग सुखी तथा स्वस्थ ही हो सकते हैं।

(राल्फ ए० हेइरो)

७१—गाय मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। वह हमारे एक मित्रके रूपमें है, जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ, जो हमारी पाई-पाई चुका देती है और घरकी तथा देशकी रक्षा करती है।

(ई० जी० वेनेट, स्टेट डेयरी कमिशनर, मिसूरी, अमेरिका)

७२—गाय मरी तो बचता कौन।
गाय बची तो मरता कौन॥

(रोमान्स आफ दी काउ)

७३—भगवान् आलसी और घातकी मनुष्योंको अन्य सबकी अपेक्षा अधिक धिक्कारते हैं और उनकी पहली आज्ञा यह है कि जबतक प्रकाश है, तबतक काम करो और दूसरी यह कि जबतक दम, तबतक दया करो। (रस्किन)

७४—पशुओंकी दुर्बलताके साथ-साथ राष्ट्र भी दुर्बल होता जाता है।

(डॉ० हैरल्ड मान)

७५—पशु-देशकी दृष्टिसे भारत अपना स्थान खो रहा है।

(लार्ड कर्जनने सन् १९०३ के राजकीय कागज-पत्रोंमें कहा है।)

७६—प्रत्येक मिनटमें एक गाय भारतसे बाहर भेज दी जाती है और हिसाब लगाया गया है कि प्रतिमिनट ५ गायें भारतमें वध कर दी जाती हैं।

(सन् १९२१ की Blue Book के अनुसार)

७७—एक बियानके बाद जो पशु कसाईयोंको सौंप दिये जाते हैं, उनका उद्धार आवश्यक है।

(सर राल्फ फिलिप् (Sir Ralph Philip) ने १९४४ की अपनी रिपोर्टमें इसपर जोर दिया है।)

७८—सबसे बड़ा डरपोक कायर वह है, जो लाचार जीवोंके साथ क्रूरताका व्यवहार करता है।

(डान मार्कीस)

७९—गायसे बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्यका मित्र नहीं है और न गाय-ऐसा कोई मधुर स्वभाववाला है। उसमें शत-प्रतिशत मातृत्व है और उसका मनुष्य-जातिसे यही माताका सम्बन्ध है।

(श्रीवाल्टर ए० डामर, अमेरिका (Owr Dumb Animals) पुस्तकमें)

८०—सब धन धान, सार धन गाई।
टाका कौड़ी किछु किछु, आर धन छाई॥

(एक बंगला लोकोक्ति)

८१—गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी देवी है। वह भूखोंको खिलाती है, नंगोंको पहनाती है, बीमारोंको अच्छा करती है, उसकी ज्योति चिरन्तन है।

(सम्पादक 'होड्र्स डेयरीमैन,' अमेरिका)

८२—हिंदू-मुस्लिमको एक प्लेटफार्मपर लानेके लिये गोरक्षासे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। मुसल्मान-मित्रोंसे मैं यह कहूँगा

कि कुरानशरीफमें, जो खुदाका कलाम है, कहीं भी गायके मांसभक्षणका हुक्म नहीं है।

(मौलाना काबिल साहेब)

८३—मैं हर हिंदू और मुसल्मानसे इस्तदुआ करता हूँ कि खुदाका करम पानेके लिये, खुशोखुर्रम रहनेके लिये और आपसमें मुहब्बत और दोस्ती रखनेके लिये यह सबका फर्ज है कि इस मेरी माँ गायकी हिफाजत करें। खुदा बरकत करेगा।

(श्रीशेख फखरुद्दीन शाह)

८४—गोरक्षाको आर्य-धर्म पवित्र कर्तव्य मानता है। उसके प्रवर्तक आचार्य-गुरुओंने गोरक्षाके लिये विशेष आदेश दिये हैं। गोरक्षा तथा धर्मके नियमोंका पालन करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।

(सेठ जुगलकिशोरजी बिड़ला)

८५—अब हम सबको आशा है कि भारतमें स्वतन्त्र राज्य होगा। मेरे विचारमें इसका विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा कि जो गाय दूध न देती हो और उसका मालिक उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हो; उसकी बिक्री या तो सरकारी फार्ममें की जाय अथवा परमिटद्वारा दूसरे लोगोंके हाथ। किन्तु ऐसी गायोंकी हत्या करना बड़ा अपराध माना जाय।

(डॉ० कैलाशनाथ काटजू, एम्०ए०, एल्-एल् डी०)

८६—यही देह अग्या तुरकको खपाऊँ, गऊ-घातका दुख जगत्से हटाऊँ।
यही आस पूरन करो तुम हमारी, मिटै कष्ट गौअन, छुटै खेद भारी॥

(श्री १०८ गुरु गोविन्दसिंहजी महाराज—दशम ग्रन्थमें)

८७—गोबर पर्म पवित्र भये। (कविता २०१)

बामण गाई बंस घात करारे (बार २४, पौड़ी १६)

(सिक्खोंके पूज्य धर्मशास्त्री भाई गुरुदासजी)

८८—भारतकी सुख-समृद्धि गौ और उसकी संतानकी समृद्धिके साथ जुड़ी है।

गायकी रक्षा करना भारतकी सारी मूक-सृष्टिकी रक्षा करना है।

हिंदुस्तानमें हिंदुओंके साथ रहकर गो-वध करना हिंदुओंका खून करनेके बराबर है।

बाजारमें बिकनेवाली तमाम गायें ज्यादासे-ज्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले। तमाम बूढ़े, लूले-लँगड़े और रोगी ढोरोंकी रक्षा राज्यको ही करनी चाहिये।

(महात्मा गाँधी)

८९—गोरक्षा भारतीय संस्कृतिका एक अङ्ग है।

(राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन)

९०—आज भारतका मुख्य प्रश्न है पर्याप्त परिमाणमें दूधका मिलना और गोवंशको सुधारना।

(कर्नल मैक कैरिसन)

९१—भाँति-भाँतिकी क्रूरता एक ऐसा धिक्कार-पात्र दुर्गुण है, जिसके विरुद्ध भलाईकी सभी शक्तियोंने विद्रोह खड़ा किया है।

(सर ऑलिवर लॉज)

९२—हे राजपुरुषो! जिन गौ आदिसे दूध-घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं, जिनके दूध आदिसे सब प्रजाकी रक्षा होती है, उनको कभी मत मारो और जो उन पशुओंको मारें उनको राजादि न्यायाधीश दण्ड देवें।

(महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती)

९३—गो दुग्ध खाओ, गाभी तोमार माता।
बृष अन्न उपजाये, ताते तेहो पिता॥
पिता माता मारी खाओ, एवा कौन धर्म।
कौन बले करो तूमि एमत विकर्म॥

(श्रीश्रीचैतन्य महाप्रभु)

९४—गाय कहूँ या तुमको माय। (श्रीमैथिलीशरणगुप्त)

९५—भारतवर्षमें जबतक गाय, तुलसी और गङ्गा नदीका अस्तित्व बना रहेगा, तबतक वहाँसे हिंदू-धर्मको उखाड़ना असम्भव है।

(एक पादरी)

९६—मुझे ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर गायको छोड़ दो। उसने आपके एक बालकको भी धक्का नहीं पहुँचाया है।

(महामना पं० मदनमोहन मालवीय)

९७—गोरक्षा इस देशके नर-नारी—सबके लिये बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध-घीपर ही भारतवासियोंका जीवन निर्भर है। जबसे गाय-बैल बड़ी निष्ठुरतासे मारे जाने लगे हैं, तबसे हमें चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे कैसे जियेंगे।

(लाला लाजपतराय)

९८—गोमांसाहारियोंके स्वार्थके लिये गाय और बैलोंपर आक्रमण किया जाता है; परंतु एकके स्वार्थके लिये दूसरोंका स्वार्थ क्यों नष्ट किया जाय। थोड़े-से मांसाहारियोंके लिये गो-हत्या जारी रहे और जिनका दूधका स्वार्थ है, वे सच्ची चिल्लाहट मचाकर ही रह जायें—यह आश्चर्य है।

(सर जान उडरफ, कलकत्ताके माननीय विचारपति)

९९—तुमपर लाजिम है गायका दूध और घी। खबरदार! उसके गोश्तसे उसका दूध शिफा है। घी दवा है और गोश्त बीमारी है।

(किताब मस्तरक)

१००—गौ सौ फीसदी माता है, उसका मनुष्यजातिसे यही सम्बन्ध है।

(Walter A.Dyers)